

न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 24/2024-25 तारीख दायर :-22.08.2024 दिनांक निर्णय :-23.09.2024

पटवारी हल्का बीघोता जरिये तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान।

बनाम

JCM8-2024/15

लक्ष्मण पुत्र नानगराम जाति मीना निवासी ग्राम बीघोता तहसील राजगढ़ जिला अलवर।


अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान
भू0 राजस्व अधिनियम-1956


आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का बीघोता द्वारा राजस्व ग्राम बीघोता के आराजी खसरा नम्बर 624 रकबा 1.27 हैक्ट0 किस्म गै0मु0राड़ा राजकीय सिवायचक के भाग 0.25 हेक्ट0 पर बाजरा व 1.02 हेक्ट0 कुल रकबा 1.27 हेक्ट0 पर जोत लगाकर अतिक्रमण करने पर लक्ष्मण पुत्र नानगराम जाति मीना निवासी ग्राम बीघोता तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसकी तामिल विधिवत् होकर प्राप्त हुई। गैरसायल/अप्रार्थी बावजूद तामिल के न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहा। अप्रार्थी की विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी को बीघोता के आराजी खसरा नम्बर 624 रकबा 1.27 हैक्ट0 किस्म गै0मु0राड़ा राजकीय सिवायचक पर अतिक्रमण कायम रखने की मंशा प्रतित होती है। भू0अ0निरीक्षक राजपुरबड़ा व पटवारी हल्का बीघोता की रिपोर्ट सम्वत 2081 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा ग्राम बीघोता की चारगाह भूमि पर किये गये अतिक्रमण की पुष्टि होती है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:-

अतिक्रमी लक्ष्मण पुत्र नानगराम जाति मीना निवासी ग्राम बीघोता तहसील राजगढ़ जिला अलवर वाके ग्राम सकट के आराजी खसरा नम्बर 624 रकबा 1.27 हैक्ट0 किस्म गै0मु0राड़ा राजकीय सिवायचक भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 15.24 की 50 गुणा में मु0 762.00/-रुपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावे। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु भू0अ0निरीक्षक राजपुरबड़ा व पटवारी हल्का बीघोता को आदेश दिये जाते हैं कि कब्जेराज ली गई फसल की नीलामी की कार्यवाही कर अतिक्रमी को मौके से भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 23.09.2024 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दपतर हो।


(छोटेलाल मीना)
नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष 2024-25
के पृष्ठ संख्या 72 प्रह... सि. 20. 7621 -
राशि कायम किये गये।

त. रा. लेखाकार